[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 5/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

9 आषाढ़, शक 1939

सा.का.नि...........(अ).- केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 1917 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) के अनुसरण में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (अंदमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम, 2017 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का अनुकूलन ।

2. (1) पूर्ति का विस्तार क्षेत्र, संयुक्त उद्ग्रहण, संयुक्त पूर्ति और मिश्रित पूर्ति, पूर्ति का समय और मूल्य, इनपुट कर प्रत्यय, रजिस्ट्रीकरण, कर बीजक प्रत्यय और नामे नोट, लेखों और अभिलेखों, विवरणियों, कर के संदाय, स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रहण, निर्धारण, प्रतिदाय, संपरीक्षा, निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी, मांग और वसूली, कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व, अग्रिम विनिर्णय, अपीलों और पुनरीक्षण, दस्तावेजों के बारे में पूर्व धारणा, अपराधों और शास्तियों, फुटकर काम, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य, निधियों का परिनिर्धारण, संक्रमणकालीन उपबंध और प्रकीर्ण उपबंध, जिनके अंतर्गत व्याज और शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, के संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, निम्नलिखित उपांतरणों सहित लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) नियम 1 में,-

(i) “केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा

कर (अंदमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम, 2017” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 90 के उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) जहां कमियां केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप मा.से.क. आरएफडी-03 में संसूचित की गई हैं वहां उसे उपनियम (3) के अधीन संसूचित कमियों के साथ इस नियम के अधीन भी संसूचित किया हुआ समझा जाएगा ।”;

(ग) नियम 117 के उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि धारा 140 की उपधारा (1) के अधीन दावे के मामले में आवेदन में पृथक् रूप से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा-

(i) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6 और धारा 6क तथा धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन आवेदक द्वारा किए गए दावे; और

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट दावों के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग या प्ररूप च में घोषणाओं तथा प्ररूप ङ या प्ररूप ज या प्ररूप झ में प्रमाणपत्रों के क्रम संख्यांक और उनका मूल्य ।”;

(घ) नियम 117 में, उपनियम 4 के खंड क और खंड ख का लोप किया जाएगा;

(ङ) नियम 119 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“119. प्रधान और अभिकर्ता द्वारा धारित स्टाक की घोषणा:- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 142 की उपधारा (14) के उपबंध लागू होते हैं, नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर, प्ररूप मा.से.क. ट्रान-1 में इलैक्ट्रानिक रूप से एक

घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें नियत दिन को उसके द्वारा धारित, यथा लागू, इनपुट अर्ध-तैयार माल या तैयार माल का स्टाक विनिर्दिष्ट हो ।";

(च) निम्नलिखित स्पष्टीकरण इन नियमों के अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 40 के प्रति सभी प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 के प्रति निर्देश हैं ।"।

(फा. सं. एस-31011/25/2017-एसटी-1-डीओआर)

(एस. आर. मीना)
अवर सचिव, भारत सरकार